Legal Express An International Journal Of Law **ISSN 2394-465X**
Vol.VI, Issue-II June 2020

महिलाओं के विरूद्ध बढ़ता अपराध: एक विधिक अध्ययन

जितेन्द्र सिंह मेहदौरिया*
राम शंकर**

सारांश

महिलायें मानव समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है उनके बिना मानव समाज की कल्पना करना सम्भव ही नहीं है। इसके बावजूद भी महिलायें हर समाज एवं काल में विभिन्न कठिनाईयों, असमानताओं एवं हिंसा का शिकार रही है। इनमें से कुछ समस्याऐं ऐसी है जो सम्पूर्ण विश्व में लगभग एक समान है। जैसे -यौन एवं घरेलू हिंसा संबंधी अपराध एवं समस्यायें। यदि हम विश्व इतिहास का अवलोकन करें तो पायेंगे कि विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में महिलाओं की स्थिति कभी भी स्थिर नहीं रही है उन्हें हर कालखण्ड में बदलते परिवेश की विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। जिसने उनके सशक्तिकरण को प्रभावित किया है। महिला सशक्तिकरण की इसी चिंता ने विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को महिलाओं की स्थिति को मजबूती प्रदान करने एवं उनको सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न कानूनों एवं विधिक प्रावधानों के निर्माण के लिए अग्रसर किया है।

बीजशब्द: महिलायें, अपराध, विधिक उपबंध

प्रस्तावना

महिलाओं के विरुद्ध अपराध एक बहु-आयामी मुद्दा है जिसके सामाजिक, निजी, सार्वजनिक और लैंगिक पहलू हैं। एक पहलू से निपटे तो दूसरा पहलू नजर आने लगता है। महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का एक जटिल और घिनौना स्वरूप है। विकासशील देशों की महिलाएँ कैंसर, दुर्घटना और युद्ध से भी अधिक घरेलू हिंसा में मारी जाती है।। घरेलू हिंसा की घटनाएँ कितनी व्यापक हैं, यह तय कर पाना मुश्किल है। यह एक ऐसा अपराध है जो अक्सर छुपाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट कम दर्ज की जाती हैं और कई बार तो इसे नकार दिया जाता है। निजी रिश्तों में घरेलू हिंसा की घटना को स्वीकार करने को अक्सर रिश्तों के चरमराने से जोड़ कर देखा जाता है। समाज के स्तर पर घरेलू हिंसा की हकीकत को स्वीकार करने से यह माना जाता है कि विवाह और परिवार जैसे स्थापित सामाजिक ढाँचों में महिलाओं की खराब स्थिति को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इन सबके बावजूद भी घरेलू हिंसा के जितने केस रिपोर्ट होते हैं, वे आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारतवर्ष में हर पाँच मिनट पर घरेलू हिंसा की एक घटना रिपोर्ट की जाती है। घरेलू हिंसा कानून लागू होने से पहले यह माना ही नहीं जाता था कि घरों में भी हिंसा होती है और इसका सबसे ज्यादा शिकार महिलाएँ होती हैं, वे चाहे विवाहित हों या अविवाहित।

यूनिसेफ की रिपोर्ट 'हिडेन इन प्लेन साइट' से उजागर हुआ है कि भारत में 15 साल से 19 साल की उम्र वाली 34 फीसदी विवाहित महिलाएँ ऐसी हैं, जिन्होंने अपने पति या साथी के हाथों शारीरिक या यौन हिंसा झेली है, इसी रिर्पोट में यह भी कहा गया है कि 15 साल से 19 साल तक की उम्र वाली 77 फीसदी महिलाएँ कम से कम एक बार अपने पति या साथी के द्वारा यौन संबंध बनाने या अन्य किसी यौन क्रिया में जबरदस्ती का शिकार हुई हैं, इसी तरह 15 साल से 19 साल की उम्र वाली लगभग 21 फीसदी महिलाएँ 15

* बी.एससी.,एम.ए., एलएल.बी., एलएल .एम
** सहायक प्राध्यापक (विधि), विधि अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय,ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

साल की उम्र से ही हिंसा झेली है। 15 साल से 19 साल के उम्र समूह की 41 फीसदी लड़कियों ने 15 साल की उम्र से ही अपनी माँ या सौतेली माँ के हाथों शारीरिक हिंसा झेली है जबकि 18 फीसदी ने अपने पिता या सौतेले पिता के हाथों शारीरिक हिंसा झेली है। यह भी देखा गया है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई, उनके साथ शारीरिक हिंसा करने वालों में पारिवारिक सदस्य, मित्र, जान-पहचान के व्यक्ति और शिक्षक थे। तथा 52 फीसदी महिलाओं ने स्वीकारा है कि उन्हें किसी न किसी तरह हिंसा का सामना करना पड़ा है, इसी तरह 32 फीसदी महिलाओं ने घसीटें जाने, पिटाई, थप्पड़ मारे जाने तथा जलाने जैसे शारीरिक उत्पीड़नों का सामना करने की बात स्वीकारी है। परिवार को समाज की महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है लेकिन पारिवारिक स्तर पर भी महिलाएँ सुरक्षित नहीं है।

यौन– अपराध

समाज में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौजूदा विद्यमान विधिक व्यवस्था इसे रोक पाने में पूरी तरह समर्थ नही हो पा रही है कानूनी प्रावधानों के बावजूद महिलाएं अपने आप को जहाँ एक और असुरक्षित महसूस करती हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके मन में संशय रहता है कि क्या क़ानून उन्हें न्याय दिला पायेगा, भारत के संविधान में स्त्री व पुरूष के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार को पूर्णतया निषिद्ध किया गया है, तथा यह भी व्यवस्थ की गयी है कि यदि आवश्यकता पड़े तो महिलाओ के हितो की रक्षा हेतु क़ानून द्वारा विशेष प्रावधान किये जाए, हमारे विधि निर्माताओं ने दण्ड क़ानून अधिनियमित किये जिनका मूल उद्देश्य महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए दण्डित करना है, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में यौन– हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीडन आदि सबसे घृणित अपराध है, यह अपराध न केवल एक महिला को शारीरिक व मानसिक कष्ट पहुचाते है बल्कि समाज की आत्मा को भी ठेस पहुचाते है, महिलाओं के यौन उत्पीडन व हिंसा रोकने हेतु संसद द्वारा अनेक अधिनियम बनाये गए है।[1]

सिसेर बकरिया प्रथम अपराधशास्त्री थे जिन्होंने अपराध को एक सामाजिक रोग निरूपित किया। उनका तर्क था कि जिस प्रकार रोगी के लिए दवा की आवश्यकता होती है उसी प्रकार अपराधी के लिए दण्ड की व्यवस्था आवश्यक है। दण्डशास्त्रियों का मानना है कि आपराधिकता के विरूद्ध संघर्ष को दरिद्रता, शोषण, बीमारी, नशाखोरी तथा वेश्यावृत्ति के विरूद्ध संघर्ष माना जाना चाहिए। आशय यह है कि यदि समाज से इन बुराइयों को समाप्त कर दिया जाए,तो अपराध निवारण की समस्या सरलता से हल हो सकेगी। यौन अपराध भी एक ऐसा अपराध है जो सदियों से सभी समाजों में व्याप्त है।

जैविक आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि यौन –आकर्षण मनुष्य स्वभाव का एक नैसर्गिक लक्षण है। युवा अवस्था में पदार्पण के साथ ही बालक –बालिकाओ में आवयविक परिवर्तन होने लगते है और एक –दूसरे के प्रति उनका आकर्षण बढता है।युवावस्था में बढती आयु के साथ युवक –युवतियों में यौन –आकर्षण भी तीव्र होता जाता है और उनमे काम –वासना जागृत होती है जिसकी संतुष्टि विवाह बंधन द्वारा हो जाती है।परन्तु किसी कारणवश व्यक्ति की कामतुष्टि वैधानिक सीमाओं के भीतर नही हो पात, तो वह यौन – अपराध करने की ओर प्रवृत हो सकता है। आशय यह है कि भूख,प्यास आदि की भाँति कामवासना भी मानव की नैसर्गिक आवश्यकता है जिसकी तुष्टि के लिए समाज में विवाह की संस्था अस्तित्व में आई। अतः यदि विवाह की संस्था सुद्रढ़ है,तो यौन –अपराधो की संम्भावना अपेक्षाकृत कम रहती है। यौन –अपराधियो के विश्लेषण के पश्चात्

[1] पौलिटिकल एण्ड लॉ टाइम्स,नवम्बर वर्ष,2013

एकत्रित किये आंकड़े भी यह दर्शाते है कि विवाहित जीवन जी रहे व्यक्ति प्रायः इन अपराधों से परावृत रहते है। आधुनिकीकरण तथा शहरीकरण के कारण परिवारों के विघटन की समस्या उत्पन्न हुई है जिसके फलस्वरूप बच्चों पर से माता –पिता का नियंत्रण हटता जा रहा है। वस्तुतः पारिवारिक नियंत्रण में ढील के कारण ही बच्चो से उद्दंडता,अनुशासनहीनता और आवारागर्दी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जिसने एक गंभीर समस्या का रूप धारण कर लिया है,आज अवैध गर्भपात,अपहरण,बलात्कार,शीलहरण,सगोत्रीय व्यभिचार,अश्लीलता आदि की घटनाएँ प्रायः सभी जगह हो रही है जो पुलिस प्रशासन के लिए गम्भीर चिंता का विषय बनी हुई हैं।

अमेरिका में यौन अपराधो की स्थिति से सम्बंधित एक अध्ययन में कहा गया है कि वहां की 88 प्रतिशत चौदह से 18 वर्ष के आयु के बीच की स्कूली छात्राओं को यौवनारम्भ के पहले ही लैगिक सहवास का पूर्वानुभव होता है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार अमेरिका के प्रत्येक पांच विवाहों में से एक में नव –वधु विवाह के पूर्व ही गर्भधारण किये रहती है।[2]

यौन अपराध के कारण

यौन अपराध के निम्नलिखित कारण है –

1. औधोगीकरण और आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप परिवार का बिघटन होता जा रहा है। आज महिलाएं घर से बाहर निकलकर प्रायः सभी क्षेत्रों में पुरूष के साथ बराबरी से काम कर रही हैं,अतः महिला की भूमिका पत्नी के रूप में कम और सहचारिणी के रूप में अधिक हो गई है,जिसके कारण वैवाहि जीवन की अखंडता लुप्त होती जा रही है जो यौन अपराधो के लिए अनुकूल वाताबरण तैयार करती है कि कामकाजी महिलाओं और बच्चों के लैंगिक शोषण की और समाज द्वारा आज भी उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है,जिसके कारण यौन अपराध बढ़ रहे है।
2. माता – पिता को लम्बे समय तक घर के बाहर कामकाज में व्यस्त रहना पड़ता है,जिससे बच्चों पर आवश्यक नियंत्रण नहीं रह पता है। अतः उनके कुसंगति में पड़ने तथा उद्दंडता या आवारागर्दी करने की सम्भावनाये बड जाती है,घर से माता –पिता की अनुपस्थिति किशोर –किशोरिओं को एकांत का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है,जो लैंगिक अपराध के लिए अनुकूल बातावरण उत्पन्न करने के लिए सहायक होती है। इसके अतिरिक्त एकान्तता के कारण खली दिमाग शैतान का घर वाली कहावत चरितार्थ होने की सम्भावना रहती है और जाने अनजाने में बच्चे यौन –अपराधों के प्रति आकृष्ट होते हैं।
3. फेशन के नाम पर वर्तमान युवा –युवतीओं की वेष –भूषा,निर्वसनता की प्रवृति स्वछन्दता आदि इतनी कामोद्दीपक होती है,कि न चाहते हुए भी लोग कभी –कभी अपना सन्तुलन खो बैठते हैं और यौन अपराध के शिकार हो जाते हैं। दूरदर्शन, सिनेमा, आदि की देखादेखी में वे प्रणय और रोमांस के नये –नये तरीके सीखते है और वास्तवक जीवन में उनका प्रयोग करने लगते हैं, जो यौन –अपराध के सिवाय कुछ नहीं होता है। इसलिए युवा लड़के –लड़किओं का परिचय मित्रता से प्रारम्भ होकर शीघ्र ही प्रणय में बदल जाता है जिसके कारण लैंगिक अपराधों में वृद्धि की संभावनाएं बड जाती हैं।

[2] अपराध शास्त्र एव दण्ड प्रशासन डॉ.ना .वि परांजपे, प्रकाशक सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन107 दरभंगा कॉलोनी,इलाहाबाद-211002

युवा –युवतियो को एक बार लैंगिक सुख की अनुभूति हो जाने पर वे इन कृत्यों को लुक छिप कर बार बार दुहराते हैं,यद्यपि वे भली भांति जानते हैं,कि उनका आचरण अनैतिक तथा आपराधिक स्वरूप का है। कुछ समय बाद वे आदतन लैंगिक अपराधी बन जाते हैं, यदि कुकृत्य के परिणामस्वरूप कोई स्त्री या लड़की गर्भ धारण कर लेती है, तो वह अवैध गर्भपात, भ्रूणहत्या, आदि जैसे अन्य अपराध कृत्य करने के लिए विवश हो जाती है और इसमे सफल न होने पर वह अविवाहित मातृत्व के कलंक से बचने के लिए नवजात शिशु को मार डालती है या उसे कहीं फेंक आती है, जो एक जघन्य अपराध है।

4. कुछ लोग स्वभाव से ही अत्यधिक कामुक होते हैं और उनकी लैंगिक वासना सामान्य व्यक्ति से अधिक तीव्र होती है, यहाँ तक कि अपनी काम वासना तृप्त करने के लिए ये व्यक्ति अवयस्कों और कभी –कभी सगे सम्बन्धियों को भी शिकार बनाने में नही हिचकिचाते है,ऐसा व्यक्ति समाज के लिए खतरनाक माने जाते है तथा सामान्य व्यक्ति उनके सम्पर्क में आने से कतराते हैं। आगे चलकर ये ही बालक आदतन लैंगिक अपराधी बन जाते हैं।

5. यौन –अपराध का अश्लीलता से घनिष्ट सम्बन्ध है,अशलीलता यौन –अपराधों के लिए अनुकूल प्रष्ट भूमि तैयार करती है। भारतीय दण्ड संहिता में अशलीलता की परिभाषा दी गई है जिसके अनुसार कोई वस्तु, पर्चा, लेख, रेखांकन, पेंटिग या एसी ही कोई वस्तु जो कामवासना उदीप्त करते हुए पढ़ने या देखने वालों के मस्तिष्क को विपर्यस्त करती हो अशलील कहलाती है।[3]

6. कभी –कभी पत्नी की अत्यधिक कामुकता या पुरूष की लैंगिक क्षीणता के कारण पति –पत्नी में असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वे एक दूसरे को हीनता की भावना से देखते है। इसी प्रकार पति –पत्नी के विचारों,आदतों तथा स्वभाव में अंतर के कारण एक दूसरे के प्रति उनका आकर्षण समाप्त हो जाता है और अवसर पाकर किसी पर पुरूष या पर स्त्री से अवैध यौन सम्बन्ध स्थापित करके अपनी कामवासना तृप्त कर लेते हैं। [4]

बालिकाओं के विरुद्ध यौन– अपराध

पकोड़ी के ठेले पर काम करने वाले एक युवक ने अपने साथी की 8 वर्ष की बहन के साथ दुष्कर्म कर दिया, पीड़ित लड़की आरोपी को भैया कहती थी इसलिय जब वह उसे घुमाने के बहाने ले गया तो किसी को शक भी नहीं हुआ। पुलिस की लापरवाही देखिये कि बुधवार 12 बजे हुई वारदात की एफ.आई.आर. रात 12 बजे लिखी, शहर के कमालाखेडी निवासी एक युवक व उसका दोस्त सीताराम दोस्त हैं। बुधवार को दोपहर 11बजे सीताराम अपने दोस्त के घर आया, जहाँ दोस्त की 8 साल की बहन खेल रही थी, आरोपी सीताराम इस लड़की को टाफी दिलाने के बहानेअपने साथ ले गया। घर से आधा किमी दूर झाड़ियों में ले जाकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया, झाड़ियों से मासूम की चीख सुनकर वहां से गुजर रहे कुछ युवक मौके की तरफ

[3] धारा -292,भारतीय दण्ड संहिता

[4] अपराध शास्त्र एवं दण्ड प्रशासन,डॉ. ना. वि. परांजपे, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स 107 –दरभंगा कॉलोनी,इलाहाबाद पेज न. 126-127

आये तो आरोपी वहां से भाग निकला। पौने घंटे बाद लड़की रोते हुए घर पहुची और अपनी दादी को पूरी घटना बताई, पुलिस ने रात 10.30 बजे मेडिकल कराया। यह घटना श्योपुर जिले की हैं।[5]

महाराष्ट्र के नागपुर में एक छात्रा से उसके दो दोस्तों ने दुष्कर्म किया,बिरोध करने पर उसकी हत्या की और शव सूटकेश में बंदकर सड़क किनारे फेंक फरार हो गए हत्या के तीन दिन बाद पुलिस ने आरोपिओं को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक 20 साल की छात्रा के पिता नागपुर में तैनात है,उन्होंने बेटी के लापता होने की रिपोर्ट कराई थी,उसकी लास 4 सितम्बर को सूटकेस में कोल्हापुर में मिली थी । जाँच के दोरान रत्नागिरी पुलिस ने लड़की के दो दोस्तों,निकलेश पाटिल 24,और उसके दोस्त अक्षय वलेड़े 25, को पकड़ा, निकलेश नागपुर का रहने वाला था,जबकि अक्षय ठाड़े के अंबरनाथ का है। लड़की मुम्बई में एक कम्पनी इनटर्नशिप कर रही थी, आरोपी निकलेश दोस्त अक्षय के साथ वहां उससे मिलाने पंहुचा,फिर दोनों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया जब उसने अलार्म बजाने की कोशिश की तो गला घोंटकर हत्या कर दी,इसके बाद शव को सूटकेश में भरा,कोल्हापुर के नजदीक फेंककर फरार हो गए।[6]

ग्वालियर के इंदरगंज थाने की पुलिस ने गैंगरेप करने वाले दो आरोपी पकड़ लिए, आरोपिओं को एक साथ ही पकड़ा गया है। इंदरगंज थाना टी आई उमेश मिश्रा ने बताया कि नाबालिग को सिरोल इलाके से बरामद किया गया तो उसने बताया कि सौरभ राठौर उसे शादी का झाँसा देकर ले गया था और आगरा व कई जगह उसे रखा। सौरभ अपने जीजा प्रमोद यादब व बंटी रोहित के साथ सिरोल ले गया, प्रमोद और बंटी ने उसके साथ गैंगरैप किया,पुलिस ने आरोपी रोहित, प्रमोद,बंटी को गिरफ्तार कर लिया। उधर 25 वर्ष की महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी नदीम खान निवासी खजांची बाबा की दरगाह के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, इधर इंदरगंज स्थित ख्ल्लासीपुरा में 40 साल की महिला के साथ 22 साल के राहुल ने दुष्कर्म कर दिया।[7]

दिल्ली में शहादरा के गांधीनगर के एक प्राइवेट स्कूल में शनिवार को पांच साल की एक बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची के साथ स्कूल के स्टोर रूम में एक चपरासी ने दुष्कर्म किया,पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, बच्ची इस घटना से गहरे सदमे में थी उसकी इस हालत को देखकर अभिभावकों को शक हुआ। डॉक्टरी जाँच में बच्चे के साथ दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद मामला पुलिस में दर्ज कराया गया है, विवेक बिहार के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की जाने वाली इस जाच की रिपोर्ट तीन दिन के भीतर पेश की जायेगी, मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने दुष्कर्म की घटना को बेहद शर्मनाक करार देते हुए कहा है कि इस तरह की वारदात को कतई बर्दास्त नही किया जायेगा।[8]

खाना परोसने के बहाने नशे में धुत पिता ने बेटी के साथ दुष्कर्म कर दिया, 14 साल की नावालिग़ की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पिता की तलाश शुरू कर दी है। वहीं पनिहार में शादी का झाँसा देकर युवक ने नावालिग के साथ दुष्कर्म कर दिया,वारदात में सहयोग करने वाले दो दोस्तों पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है।महाराजपुरा ग्वालियर थाना टी आई अजीत सिंह ने बताया की रसूलपुर में रहने वाले

[5] समाचार पत्र दैनिक भास्कर,शुक्रवार,8/9/2017 पेज न.4
[6] समाचार पत्र,दैनिक भास्कर,शुक्रवार,8/9/2017, पेज न. 5
[7] समाचार पत्र दैनिक भास्कर, रविवार 10 सितम्बर,2017 , पेज न. 8
[8] समाचार पत्र दैनिक भास्कर,सोमवार,11 सितम्बर,2017,पेज न. 1

40 साल के व्यक्ति ने अपनी 14 साल की बेटी के साथ रविवार सुबह दुष्कर्म कर दिया, आरोपी ने सुबह मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। वही पनिहार में 17 साल की नावालिग़ के साथ 5 सितम्बर को जीतू उर्फ़ जितेन्द्र जाटव निवासी भितरवार ने दुष्कर्म कर दिया, वारदात की साजिस में उसके दो दोस्त देशराज कुशवाह और नारायण जाटव पर भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

पनिहार थाना पुलिस ने बताया कि जीतू नावालिग़ से शादी का वादा कर रहा था और उसका अपने दोस्त की मदद से अपहरण कर ले गया, नावालिग़ को ग्वालियर और डबरा में रखा और 6 सितम्बर को जीतू और नावालिग़ डबरा थाने में पहुच गये थे जहाँ इन्होने मर्जी से शादी करने की बात कही, पुलिस तीनो आरोपिओं की तलाश कर रही है।[9]

चंडीगढ़ में 10 साल की बच्ची से हैवानियत के बाद अब जालंधर के परागपुर स्थित एक गाँव में 12 साल की बच्ची प्रग्नेट होने का मामला सामने आया है, बच्ची करीब 5 महीने की प्रग्नेट बताई गई है। हैवानियत करने वाला 47 साल का वहशी सुदर्शन साही बच्ची के घर में किराए पर रहता है वह डेढ़ साल से डरा – धमकाकर बच्ची से दुष्कर्म कर रहा था, घर वालो को चार दिन पहले प्रग्नेसी का पता लगा। वह भी तब जब माँ ने बच्ची को नहाते हुए देखा, जब माँ ने पूछा तो बच्ची ने बताया कि किरायेदार सुदर्शन डेढ़ साल से उसके साथ गलत काम कर रहा है।

पुलिस ने मेडिकल करवाकर रिपोर्ट दर्ज कर लिया है, आरोपी को गिरफ्तार कर पूछ –ताछ की जा रही है, आरोपी पश्चिमबंगाल का है बच्ची ने बताया की सुदर्शन ने गले पर चाकू रखकर मारने की धमकी देकर गन्दा काम किया बच्ची ने बताया कि किसी को बताने पर माँ को भी मारने की बात कहता था बच्ची के माँ और बाप दुकान चलाते है।

गुरूवार को सिविल अस्पताल में डॉ. गुरमीत कौर ने बच्ची की जाँच की उन्होंने बताया की बच्ची के गर्भ में 5 से 6 महीने का भ्रूण है। अबोर्शन का समय गुजर गया है,बच्ची सेहतमंद है उसका ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड स्केनिग शुक्रवार सुबह होगी उसके बाद ही सही पता लगेगा कि गर्भ में कितने महीने का भ्रूण है।[10]

मध्य प्रदेश के नीमच में केंट थाना पुलिस ने महिला की शिकाया पर दन्त चिकित्सक के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कर लिया है, पुलिस के अनुसार दन्त चिकित्सक डॉ. आबिद अहसान के विरूद्ध एक महिला की शिकायत पर जाँच के बाद विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पीड़ित महिलाने चिकित्सक के विरूद्ध दर्ज शिकायत में बताया कि उसके बच्चे को मरबा देने की धमकी देकर कई सालो से यौन शोषण किया गया, इसके अलावा पीड़िता ने चिकित्सक पर एक लाख रूपये ठगने के भी आरोप लगाये हैं पुलिस का कहना है कि आवेदन की जाँच के बाद अपराध पंजीबद्ध किये गए है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई हुई है।[11]

सुप्रीमकोर्ट ने 13 वर्षीय दुष्कर्म पीड़ित गर्भवती लड़की के स्वास्थ्य की जाँच करने के लिए सोमवार को एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया। लड़की 30 सप्ताह की गर्भवती है, जस्टिस एस .ए .बोबडे और एल नागेश्वर राव की बेंच ने निर्देश दिया कि लड़की के स्वास्थ्य की जाँच के लिए मुम्बई स्थित सर जे .जे .ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड गठित किया जाये जो उसके अबार्शन पर सलाह देगा। अब 31 अगस्त को मामले की सुनबाई

[9] समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, सोमवार 11 सितम्वर, 2017, पेज न. 3
[10] समाचार पत्र, दैनिक भास्कर, 11 अगस्त,2017,पेज न, 12
[11] समाचार पत्र, दैनिक भास्कर,11 अगस्त,2017, पेज न.4

होगी, 20 हफ्ते से अधिक के भ्रूण के अबार्शन पर कानूनन रोक है, शीर्ष अदालत ने 28 जुलाई को ही एक 10 वर्षीय गर्भवती नावालिक को 32 सप्ताह के गर्भ के अबार्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इस बीच कोर्ट ने बगैर खोपड़ी वाले 24 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति के लिए दायर याचिका पर भी मेडिकल बोर्ड गठित करने को कहा है।[12]

बिजौली के राई गाँव में बुधवार की आधीरात तीन हथियारबंद बदमाशों ने वहां सो रही महिला का मुंह दबाया, बेटा पर कट्टा अड़ाया और 11 साल की नावालिग़ के साथ दुष्कर्म कर भाग गए पुलिस पहले तो इस पहले तो इस शर्मनाक घटना को दबाने की कोशिश में लगी रही और एफ .आई,आर .24 घंटे बाद दर्ज हो सकी। जिस कारण इस मामले का शुक्रवार को पता चल सका, वारदात के बाद से पूरा परिवार सहमा हुआ है, पीड़िता का मेडिकल करा लिया गया है, इससे पहले सिटी सेन्टर के महलगांव में 20 अगस्त को घर में घुसकर लूटपाट और हथियार की दम पर 17 साल की नावालिग़ से गैंगरेप की वारदात हुई। पुलिस अपनी सुस्त कार्यवाही के चलते इस मामले के आरोपियों का भी अब सुराग नहीं लगा पाई है। राई गाँव के पास झोपड़ीनुमा घर में महिला अपनी 11 साल की बेटी व 14 साल के बेटे के साथ रहती है,30 अगस्त की रात जब पूरा परिवार सो रहा था तभी हथियार बंद तीन बदमास घुस ये तीनो बदमास जबरा कुशवाह, राजू और लल्ला निवासी भिण्ड थे। परिवार ने तत्काल इन तीनो को पहचान लिया क्योंकि घटना का शिकार परिवार भी मूलतः भिण्ड के उसी गाँव का रहने वाला है, तीनों बमासों ने घुसते ही हथियार निकाल लिए, राजू ने महिला के 14 साल के बेटे पर कट्टा अड़ा दिया और लल्ला ने महिला का मुँह दबा लिया। इसके बाद जबरा ने 11 साल की बच्ची को अपने कब्जे में लेकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया, इस घटना से परिवार घबराया हुआ है और बच्ची की हालत भी ख़राब है,घटना की सूचना पर पुलिस ने तीनो बदमासों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।[13]

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन

इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन – शोषण रोकने के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा अगस्त 1997 में व्यापक दिशा –निर्देश दिये जाने के बावजूद केन्द्र- सरकार को इस सम्बन्ध में क़ानून बनाने में 16 साल लग गये।

महिलाओं से छेड़-छाड़ या उनका यौन –उत्पीडन करने में आम आदमी ही नहीं बल्कि प्रतिष्ठित व्यक्ति भी पीछे नहीं रहते हैं, इस समय तहलका पत्रिका के पूर्व मुख्य संपादक तरुण तेजपाल और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार गांगुली का मामला चर्चा में है। यह पहली घट्नाये नही है, इससे पहले भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर यौन – शोषण के आरोप लगते रहे हैं, पिछले महीने ही मलयाली फिल्मो की अभिनेत्री स्वेता मेनन ने कांग्रेस के सांसद एन पीतांबर कुरूप पर इसी तरह का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली थी।

इसे विडम्बना ही कहा जायेगा कि कार्यस्थल पर महिलायों का यौन –शोषण रोकने के बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा अगस्त 1997 में व्यापक दिशा –निर्देश दिये जाने के बादजूद केंद्र सरकार को इस सम्बन्ध में

[12] समाचर पत्र,दैनिक भास्कर,29/08/2017,मंगलवार,पेज न. 15
[13] समाचार पत्र,दैनिक भास्कर,02/09/2017, शनिवार,पेज न. 1 व 12

क़ानून बनाने में 16 साल लग गए। इसे लागू करने के लिए जरूरी नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया जा सका है, अब महिलायों की सुरछा और उनके संरक्षण सतत प्रयत्नशील रहने वाली मीडिया, न्यायपालिका, कार्यपालिका जैसी संस्थाओं के सदस्यों पर भी इस तरहे के आरोप लगने लगे हैं।

यौन –शोषण के आरोप में तहलका पत्रिका के पूर्व मुख्य संपादक तरुण तेजपाल अभी हिरासत में है और एक महिला से दुराचार के आरोप में उत्तराखंड के अतिरिक्त गृह सचिव जे पी जोशी को निलंबित किया गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच में भी कुछ युवा महिला वकीलों ने न्यायालय परिसर में यौन –उत्पीडन की शिकायत के साथ याचिका दायर की है इस मामले में उच्च न्यायालय ने विशाखा प्रकरण के अनुरूप जाँच समिति गठित की है।

कार्यस्थल पर महिलाओ के संरक्षण के लिये विशेष समिति गठित करने का निर्देश 1997 में देने वाले उच्चतम न्यायालय में ही न्यायमूर्ति गांगुली सेवानिवृत प्रकरण के बाद ही न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में दस सदस्यीय समिति का गठन किया जा सका है।

न्यायमूर्ति गांगुली के मामले में क़ानून की इंटर्न के आरोप की जाँच करने वाली न्यायाधीशों की समिति की रिपिर्ट के मुख्य अंश सार्वजनिक करने के साथ ही प्रधान न्यायाधीश पी . सदाशिवम ने स्पस्ट कर दिया है कि अब उच्चतम न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, जाँच समिति के अनुसार पहली नजर में इस बात का खुलासा होता है कि पूर्व न्यायाधीश का आचरण अशोभनीय और यौन प्रकृति का था।

प्रधान न्यायाधीश के अनुसार चूँकि इस घटना के दिन 24 दिसंबर 2012 को यह इंटर्न शीर्ष अदालत के रोल पर नही थी और न्यायमूर्ति गांगुली भी पहले ही सेवानिवृत हो चुके थे,सभी न्यायाधिशो की बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ प्रतिवेदन उच्चतम न्यायालय प्रशासन के विचार योग्य नही है, इस निर्णय से साफ है कि पूर्व न्यायाधीशों के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत होने पर प्रभावित पक्ष को सामान्य कानूनी प्रक्रिया का ही सहारा लेना होगा क़ानून सभी के लिये बराबर है और कोई भी क़ानून से परे नही है।

अब देखना यह है कि न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली के मामले में ऊँट किस करवट बैठता है क्योंकि कानून की इंटर्न ने अभी तक पुलिस को बयान नही दिया है, न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली इस समय पश्चिम बंगाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, जाँच समिति की रिपोर्ट सार्वजानिक होने के बाद उन्हें इस पद से हटाने के लिये राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति को दो पत्र भी लिखे, न्यायमूर्ति अशोक कुमार गांगुली हालांकि यह कहते हैं कि उनके मामले की तुलना तरुण तेजपाल प्रकरण से नहीं की जा सकती है लेकिन दोनों ही मामलो में कुछ समानतायें नजर आती हैं, दोनों मामलों में ऐसा लगता है कि आरोपी ने अपनी स्थिति का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया और लड़की के प्रतिवाद करने पर दोनों ही मामलो में आरोपियों ने अपने आचरण के लिये उससे क्षमायाचना भी की।

यह दीगर बात है कि यौन – शोषण के आरोपों में पीड़ित से क्षमा – याचना का कोई महत्व नहीं रह जाता है उच्चतम न्यायालय ने 1999 में इसी तरह के एक मामले में आरोपी के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति दिखाने से इंकार कर दिया था हाँ, इतना जरूर है कि तरुण तेजपाल और न्यायामूर्ति अशोक कुमार गांगुली के मामले में एक असमानता भी है तेजपाल के मामले में लड़की ने तत्काल पत्रिका की प्रबन्ध संपादिका को मेल लिखी थी लेकिन न्यायामूर्ति अशोक कुमार गांगुली के मामले में लड़की ने करीब एक बाद ब्लाग में इस घटना का रहस्योदघाटन किया, शायद यही वजह है कि इस तरह की घटनाओं के बारे में शिकायत करने या उसे

संज्ञान में लाने के लिए एक न्यूनतम अवधि निर्धारित करने की मांग भी उठी है क्योंकि इसके अभाव में तो कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप लगाकर उसकी छवि धूमिल करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है यौन – शोषण की समस्या पर पूरी तरह अंकुश लगाना जरूरी है लेकिन इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इस संबंध में कानूनी प्रावधानो का दुरुपयोग नहीं किया जाये|[14]

महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से सम्बंधित आंकड़े

महिलाओं को हिंसा के सभी स्रोतों से संरक्षण के लिये तथा लैगिक न्याय के प्रश्न पर आम जनता को संवेदन शील बनाने के लिए अनेक विधिक प्रगति हुई और अनेक नीतिगत निर्णय भी लिए गए,किन्तु महिलाओं के विरूद्ध अपराधों में अत्यधिक बृद्धि हुआ है,नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के नवीनतम रिपोर्ट भारत में अपराध सन 2015 के अनुसार वर्ष 2015 में देश में महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराधों की संख्या 327394 है, जो वर्ष 2011 में 2286650 थी,अर्थात 5 वर्ष में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की संख्या में 42% की वृद्धि हुई इसके 5 वर्ष पूर्व वर्ष 2005 से 2015 अर्थात एक दशक की तुलना में यह प्रतिशत 110.5% है अर्थात एक दशक में यह दो गुना से भी अधिक है रिपोर्ट में वर्ष 2015 में बलात्कार सम्बन्धी की संख्या 34651 दर्ज है जिसमे पाक्सो (pocso) एक्ट के मामले शामिल नहीं हैं।[15]

यौन अपराधों को रोकने के लिए बने कानून

भारतीय दण्ड संहिता –

1 **शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है-** धारा 100 के अनुसार - यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री पर बलात्संग करने के आशय से उस पर हमला करता है।

2 **गर्भपात कारित करना-** धारा 312 के अनुसार- जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा,यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सदभावपूर्वक, कारित न किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा,और यदि वह स्त्री स्पन्दन गर्भा हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा,और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

3 **स्त्री की सम्मति के विना गर्भपात कारित करना-** धारा 313 के अनुसार- जो कोई उस स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वह स्त्री स्पन्दनगर्भा हो या नही, पूर्ववती अन्तिम धारा में परिभाषित अपराध करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

4 **गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्यो द्वारा कारित मृत्यु-** धारा 314 के अनुसार - जो कोई गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से कोई ऐसा कार्य करेगा, जिससे कोई एसी स्त्री की मृत्यु कारित कारित हो जाये, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी,

[14] समाचार पत्र –दृष्टिकोण मंथन दिनाँक- 01से 15 जनवरी 2014 पेज न. 9
[15] जजमेन्ट एण्ड लॉ टुडे, जुलाई 2017 पेज न. 11

दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा,और यदि वह कार्य उस स्त्री की सम्मति के बिना किया जाए, तो वह आजीवन कारावास से या ऊपर बताए हुए दण्ड से,दण्डित किया जाएगा।

5 लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दण्ड – धारा 354-A के अनुसार- ऐसा कोई निम्नलिखित कार्य अर्थात –

(i) शारीरिक संपर्क और अग्रक्रियाए करने, जिनमे अवांछनीय और लैंगिक सम्बन्ध बनाने सम्बन्धी स्पष्ट प्रस्ताव अन्तर्वलित हो या

(ii) लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई माँग या अनुरोध करने, या

(iii) किसी स्त्री के इच्छा के विरूद्ध बलात अश्लील साहित्य दिखाने ,या

(iv) लैंगिक आभासी टिप्पणी करने,

वाला पुरूष लैंगिक उत्पीड़न के अपराध का दोषी होगा।

(2) ऐसा कोई पुरूष, जो उपधारा (1) के खण्ड (i)या खण्ड (ii) या खण्ड (i i i)में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

(3) ऐसा कोई पुरूष, जो उपधारा (1) के खण्ड (iv) में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

6 विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी स्त्री को व्यपाहत करना, अपाहत करना या उत्प्रेरित करना - धारा 366 के अनुसार- जो कोई किसी स्त्री का व्यपहरण या अपहरण उसकी इच्छा के विरूद्ध किसी व्यक्ति से विवाह करने के लिए उस स्त्री को विवश करने के आशय से या वह विवश की जायेगी यह सम्भाव्य जानते हुए अथवा अयुक्त सम्भोग करने के लिए उस स्त्री को विवश या विलुब्ध करने के लिए या वह स्त्री अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध की जायेगी, यह सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी,दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और जो कोई किसी स्त्री को किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या वह विवश या वह विलुब्ध की जायेगी यह सम्भाव्य जानते हुए इस संहिता में यथा परिभाषित आपराधिक अभित्रास द्वारा अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग या विवश करने के अन्य साधन द्वारा उस स्त्री को किसी स्थान से जाने को उत्प्रेरित करेगा, वह भी पूर्वोक्त प्रकार से दण्डित किया जाएगा।

7 अप्राप्तवय लड़की का उपापन - धारा 366-A के अनुसार- जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु की अप्राप्तवय लड़की को अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तदद्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा, यह सम्भाव्य जानते हुए एसी लड़की को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को, किसी भी साधन द्वारा उत्प्ररित करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

8 विदेश से लड़की का आयात करना- धारा 366–B के अनुसार– जो कोई इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की को भारत के बाहर के किसी देश से या जम्मू- कश्मीर राज्य से आयात, उसे किसी अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तदद्वारा वह विवश या विलुब्ध की जाएगी, यह

सम्भाव्य जानते हुए करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

9 **ऐसे व्यक्ति का, जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण-** धारा 370-A के अनुसार–

(1) जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए किसी अवयस्क का दुर्व्यापर किया गया है, ऐसे अवयस्क को किसी भी रीती में लैंगिक– शोषण के लिए रखेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते कि किसी व्यक्ति का दुर्व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी रीती में लैगिक – शोषण के लिए रखेगा वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जयेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

10 **वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय को बेचना-** धारा 372 के अनुसार– जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए या किसी विधिविरूद्व और दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति, किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जायेगा, बेचेगा, भाड़े पर देगा या अन्यथा व्ययनित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1 – जबकि अठारह वर्ष से कम आयु की नारी किसी वेश्या को या किसी अन्य व्यक्ति को, जो वेश्यागृह चलाता हो या उसका प्रबन्ध करता हो, बेचीं जाए, भाड़े पर दी जाए या अन्यथा व्ययनित की जाए, तब इस प्रकार एसी नारी को व्ययनित करने वाले व्यक्ति के बारे में, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने उसको इस आशय से व्ययनित किया है कि वह वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

स्पष्टीकरण 2 - अयुक्त सम्भोग से इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्तियों में मैथुन अभिप्रेत है जो विवाह से संयुक्त नहीं है, या ऐसे किसी संयोग या बन्धन से संयुक्त नहीं है जो यद्यपि विवाह की कोटि में तो नहीं आता तथापि उस समुदाय की, जिसके वे है या यदि वे भिन्न समुदायों के है तो ऐसे दोनों समुदायों की, स्वीय विधि या रूढ़ी द्वारा उनके बीच में विवाह – सदृश सम्बन्ध अभिज्ञात किया जाता हो।

11 **वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय का खरीदना-** धारा 373 के अनुसार– जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को इस आशय से कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी वेश्यावृत्ति या किसी व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए या किसी विधिविरूद्व दुराचारिक प्रयोजन के लिए काम में लाया या उपयोग किया जाये या यह सम्भाव्य जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति किसी आयु में भी ऐसे किसी प्रयोजन के लिए काम में लाया जाएगा या उपयोग किया जाएगा, खरीदेगा, भाड़े पर लेगा, या अन्यथ उसका कब्ज़ा अभिप्राप्त करेगा वह दोनों में से किसी भाँती के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण 1– अठारह वर्ष से कम आयु की नारी को खरीदने वाली,भाड़े पर लेने वाली या अन्यथा उसका कब्ज़ा अभिप्राप्त करने वाली किसी वेश्या के या वेश्यागृह चलाने या उसका प्रबन्ध करने वाले किसी व्यक्ति के बारे में, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जायेगी कि एसी नारी का कब्ज़ा उसने इस आशय से अभिप्राप्त किया है कि वह वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जायेगी।
स्पष्टीकरण -2- अयुक्त सम्भोग का वही अर्थ है, जो धारा -372 –में है।

12 **बलात्संग-** किसी स्त्री की योनि, धारा -375- के अनुसार- यदि कोई पुरूष, -

(क) उसके मुँह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है ; या

(ख) किसी स्त्री की योनि,मूत्रमार्ग या गुदा में एसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग, जो लिंग न हो, किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है ; या

(ग) किसी स्त्री के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार ह्स्तसाधना करता है जिससे कि उस स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके या उससे ऐसा अपने या किसी अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है ; या

(घ) किसी स्त्री की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुँह लगाता है या उससे ऐसा अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करता है,

तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है, जहाँ ऐसा निम्नलिखित सात भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है :

पहला – उस स्त्री की इच्छा के विरूद्ध।

दूसरा – उस स्त्री की सम्मति के बिना।

तीसरा – उस स्त्री की सम्मति से, जब कि उसकी सम्मति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे वह हितबद्ध है, मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है।

चौथा – उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरूष यह जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करता है कि ऐसा अन्य पुरूष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करता है।

पाँचवा- उस स्त्री की सम्मति से, जब एसी सम्मति देने के समय, वह विकृतचितता या मत्तता के कारण या उस पुरूष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से कोई संज्ञाशून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिये जाने के कारण, उस बात की, जिसके बारे में वह सम्मति देता है, प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है।

छठवां – उस स्त्री की सम्मति से या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम आयु की है।

सातवाँ – जब वह स्त्री सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है।

स्पष्टीकरण 1- इस धारा के प्रयोजनो के लिए, योनि के अन्तर्गत वृहत भगोष्ठ भी है।

स्पष्टीकरण 2 – सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैचिछक सहमति अभिप्रेत है, जब स्त्री शब्दों, संकेतो या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करती है :

परन्तु एसी स्त्री के बारे में, जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने विनिर्दिष्ट लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सहमति प्रदान की है।

अपवाद 1 – किसी चिकित्सीय प्रकिया या अंत: प्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा।

अपवाद 2 – किसी पुरूष का अपनी स्वयं की पत्नी के साथ,मैथुन या यौन क्रिया यदि पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की न हो, बलात्संग नहीं है।

13 **बलात्संग के लिए दण्ड –** (1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

(2) जो कोई –

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए –

i. उस पुलिस थाने की , जिसमे ऐसा पोलिस अधिकारी नियुक्त है, सीमाओं के भीतर ; या

ii. किसी भी थाने के परिसर में ; या

iii. ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में,

किसी स्त्री से बलात्संग करेगा ; या

(ख) लोक सेवक होते हुए, ऐसे लोक सेवक की अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में की किसी स्त्री से बलात्संग करेगा ; या

(ग) केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बालों का कोई सदस्य होते हुए, उस क्षेत्र में बलात्संग करेगा ;या

(घ) तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के प्रबंधतंत्र या कर्चारिवृन्द में होते हुए, एसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, या स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा ; या

(ङ) किसी अस्पताल के प्रबंधतंत्र या कर्मचारीवृंद होते हुए, उस अस्पताल में किसी स्त्री से बलात्संग करेगा ; या

(च) स्त्री का नातेदार, संरक्षक या अध्यापक अथवा उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए, उस स्त्री से बलात्संग करेगा ;या

(छ) सांप्रदायिक या पंथीय हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा ; या

(ज) किसी स्त्री से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है बलात्संग करेगा ; या

(झ) किसी स्त्री से, जब वह सोलह वर्ष से कम आयु की है, बलात्संग करेगा ; या

(ञ) उस स्त्री से, जो सम्मति देने में असमर्थ है, बलात्संग करेगा ;या

(ट) किसी स्त्री पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए,उस स्त्री से बलात्संग करेगा ; या

(ठ) मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रसित किसी स्त्री से बलात्संग करेगा ;या

(ड) बलात्संग करते समय किसी स्त्री को गम्भीर शारीरिक अपहानि कारित करेगा या विकलांग वनायेगा या विद्रूपित करेगा या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा ; या

(ढ) उस स्त्री से बारबार बलात्संग करेगा ;

वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,-

(क) सशस्त्र बल से नौसैनिक, सैनिक और वायु सैनिक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बालों का, जिसमे ऐसे अर्धसैनिक बल और कोई सहायक बल भी है, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या के नियंत्रिनाधीन है, कोई सदस्य भी है ;

(ख) अस्पताल से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत किसी एसी संस्था का अहाता भी है,जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को या चिकित्सीय देखरेख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार करने के लिए है ;

(ग) पुलिस अधिकारी का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम,1861 (1861 का 5) के अधीन पुलिस पद में उसका है ;

(घ) स्त्रियों या बालकों की संस्था से स्त्रियों और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित और अनुरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित स्त्रियों या बाल्कों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई संस्था हो।

14 **पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दण्ड –** धारा 376-A के अनुसार- जो कोई, धारा 376 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय कोई अपराध करता है और ऐसे अपराध के दौरान एसी कोई क्षति पहुचाता है जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा लगातार विकृतशील हो जाती है, वह एसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकल के लिए कारावास से अभिप्रेत होगा, या मृत्यु दण्ड से दण्डित किया जाएगा।

15 **पति द्वारा अपनी के साथ प्रथक्करण के दौरान मैथुन–** धारा 376–B के अनुसार– जो कोई, अपनी पत्नी के साथ जो प्रथक्करण की डिक्री के अधीन या अन्यथा पृथक रह रही है, उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नही होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की ही सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण- इस धारा में मैथुन से धारा 375 के खण्ड (क) से खण्ड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत हैं।

16 **प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन-** धारा 376–C के अनुसार- जो कोई –

(क) प्राधिकार की किसी स्थिति या वैश्वासिक सम्बन्ध रखते हुए ;या

(ख) कोई लोक सेवक होते हुए ;या

(ग) तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण –गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान का या सथियों या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबन्धक होते हुए ;या

(घ) अस्पताल के प्रबंधतंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारीवृन्द होते हुए ;या,

एसी किसी स्त्री को, जो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भारसाधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है, अपने साथ मैथुन करने हेतु, जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है,उत्प्रेरित या विलुब्ध करने के लिए एसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरूपयोग करेगा, वह दौनो में से किसी भांति के कारावास से,जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा,किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण -1 इस धारा में, मैथुन से धारा 375 के खण्ड (क) से खण्ड (घ) में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत होगा।

स्पष्टीकरण - 2 इस धारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 375 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा।

स्पष्टीकरण – 3 किसी जेल, प्रतिप्रेषण – गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या स्त्रियों या बालकों की किसी संस्था के सम्बन्ध में, अधीक्षक के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है, जो जेल प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रिन का प्रयोग कर सकता है।

स्पष्टीकरण – 4 अस्पताल और स्त्रियों या बालकों की संस्था पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो धारा 376 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में उनका है।

17 **सामूहिक बलात्संग –** धारा 376- D के अनुसा– जहाँ किसी स्त्री से, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा, एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वह उन व्यक्तियों में, से प्रत्येक के बारे में यह समझा जायेगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह एसी अवधि के कठोर कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।

परन्तु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चो को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा।

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदत किया जाएगा।

17 **पुनरावृतिकर्ता अपराधियों के लिए दण्ड -** धारा 376–E के अनुसार- जो कोई, धारा 376 या धारा 376-क या धारा 376 –घ के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दण्डित किया गया है और तत्पश्चात उक्त धाराओं में से किसी के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिध्दोषठहराया जाता है, आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाएगा।

18 **विधिपूर्ण विवाह का प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरूष द्वारा कारित सहवास–** धारा 493 के अनुसार- हर पुरूष जो किसी स्त्री को, जो विधिपूर्वक उससे विवाहित न हो, प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्वक उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस स्त्री का अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

19 **जारकर्म–** धारा 497 के अनुसार- जो कोई ऐसे व्यक्ति के साथ, जो किसी अन्य पुरूष की पत्नी है,और जिसका किसी अन्य पुरूष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है,उस पुरूष की सम्मति या मौनानुकुलता के बिना ऐसा मैथुन करेगा जो बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता, वह जारकर्म के अपराध दोषी होगा, और दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से,दण्डित किया जाएगा। ऐसे मामले में पत्नी दुष्प्रेरक के रूप में दण्डनीय नहीं होगी।

20 **विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना, या ले जाना या निरुद्ध रखना–** धारा 498 के अनुसार- जो कोई किसी स्त्री को, जो किसी अन्य पुरूष की पत्नी है,और जिसका अन्य पुरूष की पत्नी होना वह जानता है, या विश्वास करने का कारण रखता है, उस पुरूष के पास से, या किसी ऐसे व्यक्ति के पास से, जो उस पुरूष की ओर से उसकी देखरेख करता है, इस आशय से ले जाएगा,या फुसलाकर ले जायेगा कि वह किसी व्यक्ति के साथ अयुक्त सम्भोग करे या इस आशय से एसी किसी स्त्री को छिपाएगा या निरुद्ध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से,जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।[16]

21 **बलात्संग के लिए कतिपय अभियोजन में सम्मति के न होने के बारे में उपधारणा–** भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (क), खण्ड (ख),खण्ड (ग) खण्ड (घ), खण्ड (E) खण्ड (च), खण्ड (छ), खण्ड (ज), खण्ड (झ), खण्ड (J),खण्ड (ट), खण्ड (ठ), खण्ड (ड), या खण्ड (ढ), के अधीन बलात्संग के किसी अभियोजन में,जहाँ अभियुक्त द्वारा मैथुन किया जाना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या उस स्त्री की, जिसके बारे में यह अभिकथित किया गया है कि इससे बलात्संग किया गया है, सम्मति के बिना किया गया और एसी स्त्री अपने साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहा न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नही दी थी।

स्पष्टीकरण - इस धारा में मैथुन से भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 375 के खण्ड (क) से खण्ड (घ) में वर्णित कोई कार्य अभिप्रेत होगा।[17]

गर्भपात से सम्बन्धित कानून –

1.गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनयम, 1970

2. जन्म –पूर्व लिंग परिक्षण निदान तकनीक अधिनियम,1994

3. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956

यौन – अपराधों से सम्बन्धित न्यायालयों द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण मामले

विशाखा बनाम राजस्थन राज्य[18] के मामले में उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने श्रमजीवी महिलाओं के प्रति काम के स्थान में होने वाले यौन उत्पीड़न को रोकने के लिय, जब तक कि इस

[16] भारतीय दण्ड संहिता, इलाहाबाद लॉ एजेन्सी पब्लिकेशन्स,सूर्य नारायण मिश्र

[17] भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इलाहाबाद लॉ पबिल्केश्न्स,राजाराम यादव

प्रयोजन के लिए विधान नहीं बन जाता है, विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत विहित किया है। न्यायालय ने यह कहा कि देश की वर्तमान सिविल विधियाँ या आपराधिक विधियाँ काम के स्थान पर महिलाओं के यौन शोषण से बचाने के लिय पर्याप्त संरक्षण प्रदान नहीं करती है और इसके लिए विधि बनाने में काफी समय लगेगा ; अतः जब तक विधानमंडल समुचित विधि नहीं बनाता है न्यायालय द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्धांत को लागू किया जाएगा। न्यायालय ने यह निर्णय दिया है प्रत्येक नियोक्ता या अन्य व्यक्तियों का यह कर्तव्य कि काम के स्थान या अन्य स्थानों में चाहे प्राइवेट हो या पब्किक, श्रमजीवी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए समुचित उपाय करे। इस मामले में महिलाओं के अनुच्छेद 14, 19, और 21 में प्रदत मूल अधिकारों को लागू करने के लिए विशाखा नाम की एक गैर सरकारी संस्था ने लोक हितवाद न्यायालय में फ़ाइल किया था। याचिका फ़ाइल करने का तत्कालीन कारण राजस्थान राज्य में एक सामाजिक महिला कार्यकर्ता के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना थी। न्यायालय ने निम्मलिखित निर्देश दिए –

(1) सभी नियोक्ता या अन्य व्यक्ति जो काम के स्थान के प्रभारी हैं चाहे वह प्राइवेट क्षेत्र में हो या पब्किक क्षेत्र में, अपने सामान्य दायित्वों के होते हुए महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न को रोकने लिए समुचित कदम उठाना चाहिए।

(क) यौन उत्पीड़न पर अभिव्यक्त रोक लगाना जिसमे निम्न बातें शामिल है – शारीरिक सम्बन्ध और प्रस्ताव, उसके लिए आगे बढ़ना, यौन सम्बन्ध के लिए मांग या प्रार्थना करना, यौन सम्बन्धी छीटाकशी करना, अश्लील साहित्य या कोई अन्य शारीरिक, मौखिक या यौन सम्बन्धी मौन आचरण को दिखाना आदि।

(ख) सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों के आचरण और अनुशासन सम्बन्धी नियम या विनियम में यौन उत्पीड़न रोकने सम्बन्धी नियम शामिल किया जाना चाहिए और ऐसे नियम में दोषी व्यक्तियों के लिए समुचित दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिए।

(ग) प्राइवेट क्षेत्र के नियोक्ताओ के सम्बन्ध में औधोगिक नियोजन अधिनियम 1946 के अधीन स्टैंडिंग आर्डर में ऐसे निषेधों को शामिल किया जाना चाहिए।

(घ) महिलाओं को काम,आराम,स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान के सम्बन्ध में समुचित परिस्थितियों का प्रावधान होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं को काम के स्थान में कोई विद्वेषपूर्ण वातावरण न हो न उनके मन में ऐसा विश्वास करने के कारण हो कि वह नियोजन आदि के मामले में अलाभकारी स्थिति में है

(2) जहाँ ऐसा आचरण भारतीय दण्ड संहिता या अन्य विधि के अधीन विशिष्ट अपराध होता हो तो नियोक्ता को विधि के अनुसार उसके विरूद्ध समुचित प्राधिकारी को शिकायत करके समुचित कार्यवाही प्रारम्भ करनी चाहिए।

(3) यौन उत्पीड़न की शिकार महिला को अपना या उत्पीड़नकर्ता का स्थानान्तरण करवाने का विकल्प होना चाहिए।

एपारल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल बनाम ए. के. चोपड़ा[19] का मामला पहला मामला है जिसमे उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में विहित सिद्वान्तों को लागू किया गया और यौन शोषण के लिए दोषी पाए गए एक कंपनी में नियुक्त उच्च अधिकारी को सेवा से निकाल दिया गया।

---

[18] ए. आई . आर. 1997 सु. को. 3011

[19] ए. आई. आर. 1999 एस. सी .625

दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेन्स फोरम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया[20] उच्चतम न्यायालय ने एक मामले में महिलाओं के साथ बढते हुए यौन अपराधों के प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त की और ऐसे मामलों के शीघ्र परिक्षण तथा उन्हें प्रतिकार प्रदान करने एवं उनके पुनर्वास के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्वान्त विहित किया है। प्रस्तुत मामले में दिल्ली श्रमजीवी फोरम ने लोकहित वाद के माध्यम से चार घरेलू श्रमजीवी महिलाओं के साथ सात सैना के जवानो द्वारा यौन उत्पीड़न की घटना को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त घटना उस समय घटी थी जब ये महिलाये रेलगाड़ी से राँची से दिल्ली जा रही थी।

उच्चतम न्यायालय के तीन न्यायमूर्तियों की खण्डपीठ ने एसी महिलाओं को प्रतिकर प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्वान्त विहित किये है –

(क) यौन शोषण के शिकायतकर्ताओं को वकील के रूप में विधिक सहायता दिया जाना चाहिए जो आपराधिक न्याय प्रणाली से भली भांति परिचित हो। उसे पीड़ित व्यक्ति को कार्यवाहियों के बारे में पूरी जानकारी देना चाहिए तथा पुलिस स्टेशन तथा न्यायालय में सहायता ही नही देना चाहिए वल्कि यह भी बताना चाहिए कि अन्य प्रकार की सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है जैसे, मानसिक परामर्श या चिकित्सा सहायता आदि। निरन्तरता बनाये रखने की दृष्टि से उसी वकील को मामले को अन्त तक निपटाना चाहिए।

(ख) पुलिस स्टेशन पर विधिक सहायता देना आवश्यक है क्योकि पीड़ित व्यक्ति वहाँ घबराया रहता है। ऐसे समय अभिवक्त की सहायता उसके लिए अत्यन्त आवश्यक है

(ग) पुलिस को प्रश्न पूछने के पूर्व पीड़ित व्यक्ति को विधिक प्रतिनिधित्व के अधिकार की जानकारी देना चाहिए और पुलिस रिपोर्ट में इसका उल्लेख होना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति को इसकी सूचना दी गई थी।

(घ) पुलिस स्टेशन पर अधिवक्ताओं की सूची होनी चाहिए जो ऐसे मामलो में स्वेच्छा से कार्य करना चाहते है जहाँ पीड़ित व्यक्ति का अधिवक्ता उपलब्ध नही है।

(ङ) अधिवक्ता की नियुक्ति पुलिस के आवेदन पर न्यायालय द्वारा यथासम्भव शीघ्र की जाएगी। किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित व्यक्ति से बिलम्ब किये बिना प्रश्न पूछे जाए अधिवक्ता को न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भी कार्य करने के लिए अधिकार होगा।

(च) बलात्कार के सभी मामलो में पीड़ित व्यक्ति की पहिचान को न खुलना बनाया रखा जाएगा।

(छ) अनुच्छेद 38 (1) के अधीन नीति निदेशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए आपराधिक क्षति प्रतिकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। बलात्कार से पीड़ित व्यक्ति प्रायः बहुत अधिक वित्तीय हानि उठाता है, इनमे से कुछ तो सेवा जारी करने में असहाय होते है

बोधिसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती[21] में उच्चतम न्यायालय की दो सदस्यीय खंडपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को बलात्कार की शिकार महिला को अंतरिम प्रतिकर देने की शक्ति है जब तक कि परिक्षण न्यायालय अभियुक्त के ऊपर लगाए आरोप पर अपना निर्णय नहीं देता है। प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी शुभ्रा चक्रवर्ती,जो बेयतिष्ट कालेज कोहिमा नागालैण्ड,में एक छात्रा थी,ने अपीलार्थी बोधिसत्व गौतम,जो उसी कालेज में प्रवक्ता था,के विरूद्व मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक परिवाद फ़ाइल् किया जिसमे उसने अपीलार्थी पर यह आरोप लगाया कि उसने उसे विवाह करने का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ यौन सम्बन्ध स्थापित किया और दिखावे स्वरूप मन्दिर में ईश्वर के समक्ष उसकी माँग में सिन्दूर भरकर विवाह भी किया और दो बार

[20] (1995) 1 एस. सी. सी. 14
[21] (1996) 1 एस. सी. सी. 490 .

गर्भवती होने पर उसका गर्भपात भी करवाया किन्तु अंत में उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने से इंकार कर दिया और त्याग दिया।

पुलिस उप महानिरीक्षक बनाम सामूथिराम[22] में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को गरिमा एवं सम्मान से रहने का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार है,यौन उत्पीड़न जैसे कि महिलाओं से छेड़छाड़ अनुच्छेद 14 तथा 15 के अधीन गारंटी किये गए अधिकार के अतिलंघन के तुल्य है। महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए प्रभावी विधायन अनुपस्थिति में सामान्यतः परिवाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा 294 तथा 509 के अधीन पंजीकृत की जाती है, न्यायालय ने दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा महिलाओं से छेड़छाड़ को रोकंने के लिए उपयुक्त विधायन बनने के पूर्व लोकहित में अनुगमित निर्देश दिये जाने आवश्यक समझें –

(क) सभी राज्य सरकारें तथा संघ क्षेत्र बस अड्डों व बस स्टोपो, रेलवे स्टेशनों,मेट्रो स्टेशनों, सिनेमा थियेटरों, शापिंग मोलो,पार्को,समुद्री किनारों,लोक सेवा गाडियों,पूजा के स्थानों आदि पर सादे वस्त्रो में महिला पुलिस अधिकारिओं को लगायेगे जिससे कि वे महिलाओं से छेड़छाड़ को मानीटरिंग तथा पर्यवेक्षण कर सकें।

(ख) राज्य सरकार तथा संघ क्षेत्र सभी ऐसे स्थानों पर सी. सी. टी .वी. लगायेगे जो स्वयं भयोत्पादक होगा और यदि पता लग गया तो अपराधी पकड़ा जा सकेगा।

(ग) शिक्षा –संस्थाओं,पूजा के स्थान सिनेमा थियेटरों,रेलवे स्टेशनों, बस स्टेंड के प्रभारी अपने परिसर के अन्दर महिलाओं से छेड़छाड़ रोकने के लिए वे उपाय करेगें जो वे उचित समझे और परिवाद किये जाने पर वे निकटतम पुलिस स्टेशन या महिला सहायता केन्द्र को सूचना अवश्य भेजेगे।

(घ) निकलने वाले लोगो का भी उतरदायित्व है कि वे इस प्रकार की घटना की जानकारी होने पर पीड़ित को इन अपराधों से बचाने के लिए निकटतम थाने या महिला हेल्पलाइन को रिपोर्ट करें।

प्रताप नारायण मिश्रा बनाम राज्य[23] के वाद में तीन अभियुक्तों ने 5 माह की गर्भवती महिला के साथ बलात्कार किया जिसके परिणामस्वरूप कुछ दिनों बाद उसका गर्भपात हो गया,डॉक्टर की राय के अनुसार जबरदस्ती मैथुन के सदमे के कारण यह गर्भपात हुआ है परन्तु उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अभियुक्तों के शरीर पर घाव,चोट या खरोच के निशान नही थे इसलिए महिलाने मैथुन की सम्मति दी होगी।

तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य[24] में भी सर्बोच्च न्यायालय ने शरीर पर चोट व सहमति के आधार पर भी महिला हितो के विपरीत निर्णय दिया गया इस वाद में मथुरा जनजातीय लड़की थी इसलिए इस मामले को मथुरा रेप के नाम से भी जानते हैं, इसमे लड़की की उम्र 14 से 16 वर्ष रही होगी पारिवारिक कारणों वश वह थाने में निरोधिद थी उसके परिवार वाले भी थाने के वाहर मौजूद थे थाने के हेड कॉन्स्टेबल ने उसे थाने के शौचालय में ले जा कर बलात्कार किया तथा पुलिस कास्टेवल तुकाराम ने भी मथुरा के साथ दुर्व्यहार किया सत्र न्यायालय ने निर्णय दिया कि पुलिस निर्दोष है मथुरा झूठ बोल रही है और यदि सम्भोग हुआ भी तो वह बलात्कार नहीं है क्योकि मथुरा की तरफ से विरोध किये जाने का कोई सबूत नहीं है मथुरा ने इसका विरोध नहीं किया यानी उसकी सम्मति थी।

---

[22] ए. आई. आर. 2013 एस. सी .14
[23] ए. आई. आर. 1977 एस. सी .1307
[24] ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 185

मोहम्मद हबीब बनाम राज्य[25] के वाद में अभियुक्त को छोड़ दिया गया क्योकि उसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नही थे, जबकि बलात्कार पीड़िता सता वर्ष की बच्ची थी इस वाद में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार के दोषी को इसलिय मुक्त कर दिया क्योकि उसके लिंग पर कोई चोट के निशान नही थे।

प्रताप मिश्रा बनाम उड़ीसा राज्य[26] के वाद में पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ लेकिन वह किसी व्यक्ति की रखैल थी तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विषय में एक भी टिप्पणी नही की गई तथा पीड़िता के आचरण को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त की दोषमुक्ति का निर्णय दिया गया।

पीहुल सिंह बनाम हरियाणा राज्य[27] के मामले में 22 साल के विवाहित पुरूष द्वारा 24 साल की अपनी चचेरी बहिन से बलात्कार किया गया।

रफीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य[28] इस मामले में अभियुक्त ने एक अधेड़ माहिला के साथ बलात्कार किया उच्चतम न्यायालय ने अभियुक्त को बलात्कार का दोषी माना।

सत्यपाल आनन्द बनाम मध्य प्रदेश राज्य[29] के वाद में न्यायालय ने दो गरीब लडकियों के बलात्कारी अपराधियों को कड़ी सजा सुनाने के साथ – साथ निचली अदालत द्वारा बलात्कार पीड़ितों को 2 लाख लाख के प्रतिकर को 10 लाख में बदला सुप्रीमकोर्ट द्वारा अपने इस निर्णय में दोनों लडकियों को प्रतिकर का आदेश देते हुए यह भी कहा धनराशि एक महिला की गरिमा व आत्मसम्मान के सामने कुछ नही है।

भूपिन्दर शर्मा बनाम एच.पी. राज्य[30] के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया था कि यौन –जनित हिंसा की शिकार महिला का नाम निर्णय में इंगित नहीं किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल[31] के वाद में अभिनिर्धारित किया गया है कि बलात्कार के मामलों का निबटारा मध्यस्थता द्वारा नही किया जायेगा।

राजस्थान राज्य बनाम ओमप्रकाश[32] इस मामले में एक अवयस्क लड़की के साथ एक लड़के ने उसके साथ बलात्कार किया था।

नारंग राम बनाम राजस्थान राज्य[33] इस वाद में अभियुक्त ने एक स्त्री के साथ बलात्कार करने के लिए बल प्रयोग किया,लेकिन उस स्त्री द्वारा प्रतिरोध किये जाने के कारण वह इन्द्रिय प्रवेश नही कर सका,यह धारण किया गया कि वह बलात्कार के प्रयत्न का दोषी था।

प्रिया पटेल बनाम मध्य प्रदेश राज्य[34] के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि सामूहिक बलात्संग के अपराध में महिला को दण्डित नही किया जा सकता है क्योकिं धारा 376 (2) (G) अब धारा 376 –D भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत बलात्संग के अपराध को गठित करने के लिए सामान्य आशय होना आवश्यक है। चूँकि महिला के विषय में बलात्संग के अपराध को गठित करने के लिए महिला का महिला से बलात्संग करने का सामान्य आशय संभव नहीं है।

---

[25] 1989 क्रिमनल लॉ.ज. दिल्ली 137
[26] ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1307
[27] ए. आई. आर. 1980 एस. सी.249
[28] 1980 क्रिमनल .लॉ. जा.1344
[29] एस. एल. पी. (क्रिमनल न.) 5019 /2012 निर्णय दिनांक 05/08/2013 एस. सी.
[30] ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 4684
[31] ए. आई. आर. 2015
[32] ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 655
[33] क्रिमनल .लॉ. रि. 1779 राज.
[34] ए. आई. आर. 2006

निष्कर्ष

वर्तमान समय में जीवन के रहन सहन में परिवर्तन से यौन अपराधो को बढ़ावा मिला है, बालक – बालिकाओं पर माता पिताओं का नियंत्रण समाप्त हो रहा है क्योकिं माता –पिता अपने काम काज में इतने व्यस्त रहते है कि वे अपने बालक – बालिकाओं पर नियन्त्रण नही रख पा रहे है जिसके परिणामस्वरूप बालक बालिकाओं में यौन अपराध की प्रवृति दिन – प्रतिदिन बढती जा रही है,बालक – बालिकाओं का सम्बन्ध मित्रता से प्रारम्भ होता है और फिर उसका अन्त यौन – अपराध से होता है।

किशोरावस्था में बालक – बालिका यह नही समझ पाते कि इसका परिणाम क्या होगा क्योंकि किशोरावस्था एक एसी अवस्था होती है जिसमे बालक – बालिका सब कुछ भूल जाते है और वे आनन्द की अनुभूति की तरफ बड जाते है फिर वे यौन –अपराध कर बैठते है, कुछ महिलायें आर्थिक तंगी के कारण अपने घर से काम की तलाश में घर से निकलती है और वे कार्यस्थल पर यौन – अपराध की शिकार हो जाती है और कुछ महिलायें तो आर्थिक तंगी के कारण वैश्यावृति करने में लीन हो जाती है।
ग्रामीण खेतिहर समाज में अभी भी घरेलू हिंसा के परिदृश्य में विशेष अन्तर नहीं आया है। महिलायें न तो अधिक शिक्षित हैं और न ही आर्थिक रूप से स्वावलम्बी। इसलिए इनकी पारिवारिक व सामाजिक स्थिति में अधिक बदलाव नहीं आया है। वह आज भी विरासत से चली आ रही घरेलू हिंसा का शिकार हैं।

वर्तमान समय में इन्टरनेट ने यौन – अपराधों को इतना बढावा दिया है कि किशोरावस्था में बालक – बालिका इन्टरनेट का इतना प्रयोग करते है जिससे वे एसी साइड खोल लेते है जिसमे यौन – सम्बन्ध के बारे में प्रयोग करके बताया जाता है और वे उसी का प्रयोग करने लगते है जिसके कारण बालक – बालिकाओं में यौन – अपराध की प्रवृति बढती जा रही है।

यौन –अपराध निम्न स्तर के व्यक्ति से लेकर उच्च स्तर के एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, चाहे वह मंत्री हो, लोक सेवक हो,डॉक्टर हो या न्यायाधीश हो पर अपराध सभी जगह व्याप्त है, महिलाएं यौन – अपराध से कही भी सुरक्षित नहीं है चाहे वह सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर हो, स्कूल, कालेज, कोंचिग संस्थान यौन – अपराध सभी जगह व्याप्त है, अभी हाल ही में ऐसे मामले सामने आये हैं।

भोपाल में एक पी एस सी की कोंचिग कर रही छात्रा जब वह कोंचिग से अपने घर वापिस लौट रही थी तभी दरिंदो ने उसके साथ बलात्कार कर दिया इसलिए महिलायें यौन– अपराध से कहीं भी सुरक्षित नहीं है, यौन–अपराध को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कानून बनाये गए है फिर भी यौन– अपराध रूकने का नाम नही ले रहे है, सरकार को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे महिलाये अपने घर से सुरछित निकल सके, एक तरफ कहा जाता है कि भारत स्वतंत्र है, भारत स्वतंत्र तभी कहा जाएगा जब महिलायें आधी–रात को भी निडर होकर घूम सकें उन पर कोई आँख तक न उठाये।

स्त्री के लिए नियम कानून सांस्कृतिक निषेध सब उसके विरोधी साबित हो रहे हैं। नये-नये कानून बना देने और संवैधानिक अधिकारों की घोषणा कर देने से स्त्रियों की स्थितियों में बदलाव की कल्पना नहीं की जा सकती। महिलाओं की स्थिति की बेहतरी के लिए पुरुषों का बदलना भी जरूरी है।